दूरभाष:01792-275025
फैक्स :01792-275425

संख्या-सी0बी0एस0/75/1/ए/- 509
कार्यालय छावनी परिषद्,
सुबाथू - 173 206,
जिला-सोलन, हि0प्र0,

26 फरवरी, 2018 ।

सार्वजनिक सूचना ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद्, सुबाथू द्वारा दिनांक 15-3-2018 को 11 बजे छावनी परिषद्, सुबाथू के कार्यालय में छावनी क्षेत्र में निम्नलिखित हरे पेडों के लिए नीलामी की जायेगी:-

Sl. No.	Species	Dia in cm	Class	Location	Volume	Minimum Value
01.	Silver Oak	68-70	IA	Cantt. General Hospital	$1.2840m^3$	Rs.7031.18
02.	Popular	50-60	IIB	Arhat Bazar	$2.8m^3$	Rs.15332.80
03.	Tun	34-34	III		$0.825m^3$	Rs.178492.00
04.	Tun	39-40	IA		$0.825m^3$	
05.	Tun	59-64	IIB	Kashmiri Mohalla	$2.265m^3$	
06.	Tun	57-50	IA		$1.523m^3$	
07.	Safeda	63-64	IA	Gugga Mari	$0.6m^3$	Rs.44618.40
08.	-do-	65-65	IA		$0.6m^3$	
9.	-do-	68-54	IA	Kendriya Vidyala	$0.6m^3$	
10.	-do-	66-68	IA		$0.6m^3$	

2. जो व्यक्ति इस कार्यालय में पहले 1500/-रूपये धरोहर राशि के रूप में जमा नहीं करवाता है, वह सार्वजनिक नीलामी में बोली नहीं बोल सकता । यह राशि उन व्यक्तियों को वापिस कर दी जायेगी, जो अपनी बोली में असफल रहेंगे और जो व्यक्ति बोली में सफल हो जायेंगे, उनकी बोली की राशि में उपरोक्त धरोहर राशि का समायोजन कर दिया जायेगा ।

3. अधिकतम बोली देने वाले को बोली की समस्त राशि की 50 प्रतिशत राशि उसी समय ही कार्यालय में जमा करवानी पड़ेगी । अन्यथा उसकी 1500/-रूपये की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी । बाकी 50 प्रतिशत राशि बोली की बोर्ड द्वारा पुष्टि करने के 10 दिनों के अन्दर जमा करवानी होगी ।

4. यदि छावनी परिषद्, सुबाथू द्वारा किसी की बोली अस्वीकृत की जाती है तो उस व्यक्ति द्वारा जमा करवाई गई सारी राशि उसे बिना किसी ब्याज़ के वापिस कर दी जायेगी ।

5. अधिकतम बोली देने वाले व्यक्ति को छावनी परिषद्, सुबाथू के साथ तीन रूपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो कि उसी ही व्यक्ति द्वारा अपने आप लाना होगा, करारनामा (एग्रीमैन्ट) करना पड़ेगा ।

6. पेड़ों की बोली पेड़ के न्युनत्म मुल्य से शुरू की जाएगी । पेड़ों की बोली पेड़ की किस्म के हिसाब से होगी यानि एक किस्म के पेड़ों की बोली एक साथ की जायेगी ।

7. मुख्य अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह सभी पेड़ों की बोली एक साथ या फिर सभि पेड़ों की बोली अलग - अलग से भी करवा सकतें हैं ।

8. यह नीलामी तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक छावनी परिषद्, सुबाथू द्वारा इसका पुष्टिकरण नहीं किया जाता । छावनी परिषद्, सुबाथू को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए किसी की भी बोली अस्वीकार कर सकता है । प्रत्येक पेड़ की नीलामी अलग-अलग की जायेगी । मुख्य अधिशासी अधिकारी को अधिकार है कि वह सारे पेड़ों की बोली एक ही बार में नीलाम कर सकता है ।

9. पेडों को काटने का अधिकार 15 दिनों के बाद समाप्त हो जायेंगे ।

10. यदि किसी पेड़ को काटते समय किसी भी सरकारी या निजि सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुक्सान होता है तो उसकी भरपाई बोली दाता को स्वयं करनी पड़ेगी ।

11. पेड़ो की नीलामी से सम्बन्धित ऊपरलिखित शर्तों के अलावा यदि कोई अन्य शर्त होगी तो वह नीलामी प्रारम्भ होने से पहले सुना दी जायेगी ।

मुख्य अधिशासी अधिकारी, सुबाथू
(तनु जैन)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी, कसौली/डगशाई/जुतोग ।
   -कृप्या उपरोक्त की मुनादी अपने छावनी क्षेत्र में करवा दें ।

2. वन-रक्षक, छावनी परिषद्, सुबाथू ।
   - कृप्या उन सभी इच्छुक व्यक्ति तथा जो प्राय: पेड़ों को खरीदते हैं, उनको सूचित करें तथा उन सभी व्यक्तियों से हस्ताक्षर करवाएं ।

3. सफाई निरीक्षक, छावनी परिषद्, सुबाथू
   -कृप्या उपरोक्त की मुनादी लाउडस्पीकर द्वारा समस्त छावनी क्षेत्र में करवाएं ।

4. समस्त निर्वाचित सदस्य, छावनी परिषद्, सुबाथू - सूचनार्थ हेतु ।

5. नीलामी रजिस्टर ।

6. समस्त सूचना पट्ट (कार्यालय सूचना पट्ट सहित) ।

मुख्य अधिशासी अधिकारी, सुबाथू
(तनु जैन)